

1085
संख्या-~~पी-04~~/81-2-2023-800(04)/2023

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 24 मई 20 23
विषय- जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020)
महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3165/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020 दिनांक 03.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त निम्न कमियां पायी गई हैं :-

1. पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।
2. वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी मै0 अडानी है अथवा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पो0 लि0 है ?
3. प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date: 24-05-2023 17:58:20

(नीता चौधरी)
Reason: Approved

उप सचिव।